रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102021-230296
CG-DL-E-09102021-230296

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943
No. 582] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 724(अ).— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने "महासचिव के माध्यम से मित्र बनाम जल संसाधन मंत्रालय" शीर्षक वाले ओ.ए.सं. 134/2015 मामले में तारीख 20 मई, 2019 के आदेश द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) को निदेश दिया था कि वह रिवर्स ऑस्मोसिस आधारित जल शुद्धिकरण प्रणाली के समुचित उपयोग के संबंध में विनियम बनाए;

और, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने "जल गुणवत्ता भारत संघ बनाम मित्र एवं अन्य" शीर्षक वाले वर्ष 2019 के सिविल अपील डायरी सं. 37657 के मामले में तारीख 22 नवम्बर, 2019 के आदेश द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निम्नवत् निदेश दिया था:-

"किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, जिसे अंततोगत्वा उस अधिसूचना के रूप में लाना है जिसे जारी किए जाने का आदेश दिया गया है, मंत्रालय इस तथ्य पर अन्य सभी तथ्यों के साथ निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए";

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में जल गुणवत्ता भारत संघ द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों/औचित्य पर विचार किया और तारीख 18 नवम्बर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा रिवर्स ऑस्मोसिस आधारित जल शुद्धिकरण प्रणाली के समुचित उपयोग से संबंधित विनियम के संबंध में प्रारूप अधिसूचना की समीक्षा करने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया;

और, रिवर्स ऑस्मोसिस आधारित जल शुद्धिकरण प्रणाली के समुचित उपयोग के संबंध में तकनीकी समिति के साथ परामर्श करके तैयार किए गए विनियम से संबंधित प्रारूप अधिसूचना को व्यापक परिचालन के लिए तथा टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, और प्रारूप अधिसूचना के संबंध में अनेक टिप्पणियां प्राप्त हुईं और यह देखा गया कि भौगोलिक और स्रोत उपलब्धता, उपभोक्ता की गुणवत्ता अपेक्षाओं, तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी सीमा, विनियामक अनुपालन और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की दृष्टि से जल की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है;

और, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) आधारित प्वाइंट ऑफ यूज (पीओयू) जल शोधन प्रणाली के लिए आईएस मानक (आईएस 16240:2015 तैयार किया गया है और आरओ आधारित जल शोधन मशीन के लिए उसके प्रकार के अनुमोदन का उपाबंध किया गया है।

अत: अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) 115 संशोधन नियम, 2021 है।
   (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अठारह माहों की अवधि के समाप्त होने पर प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-I में, क्रम संख्या 114 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"115 जल शुद्धिकरण प्रणाली (डब्ल्यूपीएस) के उपयोग के संबंध में विनियम

1. परिभाषा.-

(i) **"भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)"** का भारतीय मानक ब्यूरो से अभिप्रेत है, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन-वितरण मंत्रालय, भारत सरकार का राष्ट्रीय मानक निकाय है;

(ii) **"केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)"** का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अभिप्रेत है, जिसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपाबंध के तहत गठित किया गया है;

(iii) **"परित्यक्त तत्व"** से अभिप्रेत है वह तत्व है जिसे या तो विनिर्माण की त्रुटियों, टूट-फूट, उपादेयता संबंधी विशेषताओं की कमी के कारण त्याग कर दिया गया है या घरेलू जल शुद्धिकरण प्रणाली से हटा दिया गया है या

जिसके उपयोग की अवधि समाप्त हो गई है, या जिसे अभिकल्पित मापदंड पर कार्यशील न होने के कारण प्रतिस्थापित किया गया है;

(iv) ***"विनिर्माता"*** से अभिप्रेत है जिसमें, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथा-परिभाषित कोई व्यक्ति, या कोई इकाई या कोई कंपनी अथवा कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) में यथा परिभाषित कोई कारखाना अथवा सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में यथा पारिभाषित लघु और मध्यम आकार के उद्यम हैं, जिनमें फिल्टरों के निर्माण और संयोजना की सुविधाएं हैं;

(v) ***"उपयोग का स्थान (पीओयू)"*** से अभिप्रेत है जो उपयोग के स्थान के नज़दीक जल शुद्धिकरण प्रणाली का स्थान और किसी एक नल या कई नलों, जैसे रसोई के सिंक के नल अथवा किसी अतिरिक्त नल में सीधे पानी भेजना है;

(vi) ***"खराब जल"*** से अभिप्रेत है जो डब्ल्यूपीएस से निकलने वाला पानी है और जिसे तंत्र द्वारा शोधित किया गया नहीं माना जाता है;

(vii) ***"राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समितियां"*** से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के प्रावधान के अंतर्गत गठित राज्य के लिए यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा संघ राज्य क्षेत्र के मामले में प्रदूषण नियंत्रण समिति, हो, से अभिप्रेत है;

(viii) ***"प्रकार अनुमोदन"*** से अभिप्रेत है ऐसा कोई उत्पाद जो विनियामक, तकनीकी और सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की न्यूनतम श्रेणी को पूरा करता है, के लिए अनुरूपता प्रमाणपत्र और जो उत्पाद को बिक्री की अनुज्ञा दिए जाने से पहले अपेक्षित है;

(ix) ***"देशी जल शुद्धिकरण तंत्र (डीडब्ल्यूपीएस)"*** से अभिप्रेत है ऐसा उपस्कर या युक्तियां जिसमें 25 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले रिवर्स ऑसमोसिस पर आधारित उपयोग के स्थान (पीओयू) पर उपलब्ध जल शोधन तंत्र शामिल है, जो पानी के कुल घुलनशील ठोस (टीडीएस) को कम करता है, रासायनिक संदूषण को सुरक्षित स्तर तक कम करता है और उपयोग के स्थान पर सूक्ष्म जैविक अशुद्धियों सहित भौतिक कणों को हटाता है;

(x) ***"देशी जल शुद्धिकरण तंत्र के अलावा अन्य कोई (ओडीपीडब्ल्यूएस)"*** से अभिप्रेत अर्थ है ऐसा उपस्कर या युक्तियां जिसमें रिवर्स ऑसमोसिस पर आधारित जल शोधन तंत्र शामिल है, जो जल के कुल घुलनशील ठोस (टीडीएस) को कम करता है, रासायनिक संदूषण को सुरक्षित स्तर तक कम करता है तथा पीओयू पर सूक्ष्म जैविक अशुद्धियों सहित भौतिक कणों को हटाता है;

(xi) ***"जल आपूर्ति अभिकरण"*** से अभिप्रेत – जो लागू कानून के कानूनी उपबंध के कारण उत्पन्न, व्यावसायिक या अनिवार्य जिम्मेदारी के आधार पर किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में जल के शोधन, वितरण और/अथवा आपूर्ति में लगी हुई कोई इकाई, संगठन, राज्य सरकार का विभाग, स्थानीय शहरी निकाय, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की इकाइयां से अभिप्रेत है;

2. **उपयोग संबंधी विनियमन** - (1) डीडब्ल्यूपीएस और ओडीडब्ल्यूपीएस के सभी उपयोगकर्ता, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

(2) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) 115 संशोधन नियम, 2021 के प्रकाशन की तारीख से छः महीनों की अवधि के भीतर डीडब्ल्यूपीएस और ओडीडब्ल्यूपीएस से उत्पन्न परित्यक्त की हैंडलिंग, भंडारण, प्रबंधन और उपयोग के लिए दिशा-निर्देश प्रकाशित किए जाएंगे।

(क) डीडब्ल्यूपीएस :-

(i) सभी विनिर्मित, आयातित, उत्पादित या संयोजित किए गए डीडब्ल्यूपीएस पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) विनियमन, 2018 की स्कीम-I, अनुसूची-II के अंतर्गत समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय मानक आईएस-16240 के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुज्ञप्ति के तहत मानक चिन्ह दर्शित करना होगा।

(ii) डीडब्ल्यूपीएस से परित्यक्त तत्वों का प्रबंधन, समय-समय पर यथा-संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016; ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016; खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपाबंध के अनुसार किया जाएगा और परित्यक्त तत्वों के रूप में उत्पन्न प्लास्टिक, इलैक्ट्रॉनिक और इलैक्ट्रिकल अपशिष्ट को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के अंतर्गत लाया जाएगा।

(ख) ओडीडब्ल्यूपीएस –

(i) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बने विभिन्न नियमों के उपाबंधों के अंतर्गत विनियमित होगा।

(ii) कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण मामले के अनुसार, यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति होगा।

3. **उत्तरदायित्व**

(क) डीडब्ल्यूपीएस

(क) विनिर्माता

(i) विनिर्माता पर्यावरण (संरक्षण) 115 संशोधन नियम, 2021 के प्रकाशन की तारीख से अठारह महीनों की अवधि के भीतर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) विनियमन, 2018 की स्कीम-I, अनुसूची-II के तहत भारतीय मानक आईएस 16240 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरों से अनुज्ञप्ति के तहत मानक चिह्न अभिप्राप्त करेगा।

(ii) डीडब्ल्यूपीएस से परित्यक्त किए गए तत्वों को विनिर्माता द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016; ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016; खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपाबंध के अनुसार प्रबंधित किया जाएगा और निष्कासित किए गए तत्वों के रूप में उत्सर्जित प्लास्टिक, इलेक्ट्रोनिक और इलेक्ट्रिकल अपशिष्ट को उत्पादक के विस्तारित उत्तरदायित्व (ईपीआर) के तहत शामिल किया जाएगा।

(iii) पैरा 2. के खंड (क) के उप-खंड (i) के अनुसार विनिर्माता द्वारा डीडब्ल्यूपीएस को बीआईएस प्रमाणन के बिना नहीं बेचा जाएगा।

(iv) विनिर्माता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यथास्थिति आगे प्रस्तुत करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष के अधिकतम 30 नवम्बर तक मामले के अनुसार एसपीसीबी या पीसीसी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(i) इस पैरा के उपाबंधों के कार्यान्वयन के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल अभिकरण होगा।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) 115 संशोधन नियम, 2021 के प्रकाशन भी तारीख से छः महीनों की अवधि के भीतर डीडब्ल्यूपीएस से उत्सर्जित अस्वीकृत जल के प्रबंधन, भंडारण, उपयोग और निपटान के लिए दिशानिर्देशों को तैयार और उन्हें प्रकाशित करेगा।

(iii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विज्ञापन, प्रकाशनों, पोस्टरों या संचार के अन्य माध्यमों के द्वारा जन जागरूकता सृजित करेगा।

(iv) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन उपाबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

(ग) उपयोगकर्ता: उपयोगकर्ता यथा लागू, डीडब्ल्यूपीएस या ओडीडब्ल्यूपीएस, से उत्पन्न परित्यक्त जल के प्रबंधन, भंडारण, उपयोग और निपटान के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।

(घ) बीआईएस: भारतीय मानक ब्यूरो उपलब्ध प्रौद्योगिकी, तदनुरूपी पुर्नप्राप्ति की सक्षमता और आउटपुट जल की गुणवत्ता की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए डीडब्ल्यूपीएस के लिए लागू मानक कोड (आईएस 16240) को तैयार या संशोधित करेगा।

4. ओडीडब्ल्यूपीएस

(क) उपयोगकर्ता :

(i) उपयोगकर्ता राजपत्र में पर्यावरण (संरक्षण) 115 संशोधन नियम, 2021 के प्रकाशन की तारीख से छः महीनों की अवधि के भीतर, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए उपाबंधों या नियमों के अनुसार रजस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों, मामले के अनुसार को प्राधिकार के लिए आवेदन करेगा और उनमें निर्धारित की गई शर्तों का अनुपालन करेगा।

(ii) उपयोगकर्ता, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन प्रचालन करेगा। वशर्ते कि इस पर्यावरण (संरक्षण) 115वां संशोधन नियम, 2021 के प्रकाशन की तारीख को या उससे पहले से प्रचालन कर रही संस्थापनाएं, इस पर्यावरण (संरक्षण) 115वां संशोधन नियम, 2021 के तारीख से छः माह की

अवधि के भीतर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रचालन के लिए अनुज्ञा जहां भी लागू हो, के लिए आवेदन करेंगे।

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

(i) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, यथास्थिति, सुनिश्चित करेगा/करेगी कि सभी ओडीडब्ल्यूपीएस को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन विनियमित किया जाए।

(ii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, यथास्थिति प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार, ओडीडब्ल्यूपीएस के विनिर्माताओं और आयातकों को रजस्ट्रीकृत करेगा/करेगी।

(iii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, यथास्थिति विज्ञापन, प्रकाशन, पोस्टर या संचार के अन्य माध्यमों से जन जागरूकता उत्पन्न करेगा/करेगी।

(iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, यथास्थिति हो, इन उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा/करेगी।

(v) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, यथास्थिति सीपीसीबी को आगामी वित्तीय वर्ष के 15 दिसम्बर से पहले-पहले अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा/करेगी।

(ग) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

i. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एसपीसीबी या पीसीसी से प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों को आगामी वित्तीय वर्ष के 30 दिसम्बर से पहले-पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत करने हेतु समेकित करेगा।

4. **सामान्य शर्तें** – (1) पीने योग्य पानी की आपूर्ति के कार्य में लगे जल आपूर्ति अभिकरण (डब्ल्यूएसए), संबंधित स्थानीय निकाय जैसे कि जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग (पीएचईडी), जल निगम, नगर निगम, जल बोर्ड, नगर पालिका, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अभिकरण, बिल प्राप्ति उपकरणों के माध्यम से और समाचार पत्रों में सार्वजनिक विज्ञापन और जन संपर्क के अन्य साधनों के माध्यम से भी आपूर्ति किए जा रहे जल के कुल घुलनशील ठोस (टीडीएस) सांद्रण सहित जल संसाधनों और जल की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं को नियमित आधार पर सूचित करेंगे।

(2) प्रत्येक डीडब्ल्यूपीएस उत्पाद पर निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाला अनुरूपता लेबल चिपकाया जाएगा, अर्थात :-

क. यह लेबल टिकाऊ और सुपाठ्य होगा।

ख. यह लेबल उत्पाद के सामान्य प्रचालन के लिए आवश्यक भाग पर चिपकाया जाएगा जिसे उत्पाद की उपयोग अवधि के दौरान सामान्यतया बदलवाने की आवश्यकता न पड़े।

(3) अनुरूपता लेबल में निम्नलिखित सूचना समाविष्ट होगी, अर्थात :-

क. उत्पाद के यथास्थिति विनिर्माता या संयोजनकर्ता, हो, का नाम और पता।

ख. कथन कि उत्पाद पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अनुरूप है।

ग. प्रकार के अनुमोदन प्रमाण पत्र की संख्या

घ. उत्पाद के विनिर्माण की तारीख या आयात के मामले में, उत्पाद के आयात की तारीख; और

ङ. श्रेणीकृत पुन:प्राप्ति दक्षता और तदनुरूप परित्यक्त जल उत्पत्ति।

(4) इन उपबंधों के कार्यान्वयन में किसी प्रकार का विवाद या समस्या होने पर, उस मामले को नोडल अभिकरण को अग्रेषित किया जाएगा।

(5) नोडल अभिकरण, अखंडता और पुन: प्राप्ति दक्षता आकलन संबंधी मुद्दों पर कार्यवाही करने और विवादों, यदि कोई हो, के निपटान सहित इन उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के संबंध में सलाह देने के प्रयोजन से एक स्थायी समिति का गठन करेगा।

[फा.सं . क्यू-17012/1/2019-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें गत संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 952(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2019 के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2021

G.S.R. 724(E).—WHEREAS, Hon'ble National Green Tribunal in the matter of O.A. no.134/ 2015 titled "Friends through its General Secretary vs Ministry of Water Resources" vide order dated the 20th May, 2019 directed the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) to come out with Regulation on Appropriate Use of Reverse Osmosis Based Water Purification System;

AND WHEREAS, Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Civil Appeal Diary No. 37657 of 2019 titled "Water Quality India Association vs Friends & Ors" vide order dated the 22nd November, 2019 directed MoEF&CC as follows: –

"The Ministry must consider this material together with all other material, before it arrives at any conclusion, which then ultimately is put in the form of the notification that has been ordered to be issued" ;

AND WHEREAS, MoEF&CC in compliance to the directions of Hon'ble Supreme Court of India considered the material / justification provided by the Water Quality India Association and vide Office Memorandum

dated the 18th November, 2019 constituted Technical Committee to review the draft notification on Regulation on Appropriate Use of Reverse Osmosis Based Water Purification System;

AND WHEREAS, draft notification on Regulation on Appropriate Use of Reverse Osmosis Based Water Purification System prepared in consultation with Technical Committee was uploaded on MoEF&CC's website for wider circulation and inviting comments, and numerous comments were received on the draft notification and it was observed that there is variation in water quality with respect to geographical and source availability, consumer quality requirements, limitation on techno-economic feasibility, regulatory compliances and health issues;

AND WHEREAS, Bureau of Indian Standards (BIS) has developed IS standard (IS 16240: 2015) for Reverse Osmosis (RO) based Point of Use (PoU) Water Treatment System and providing Type approval for RO based Water Purifier.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Act, 1986, namely:–

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) 115 Amendment Rules, 2021.

(2) Same as otherwise provided in these rules, they shall come into force on expiry of period of eighteen months from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, after serial number 114 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: –

"115 Regulation on Use of Water Purification System (WPS)

1. **Definition.** –

(i) ***"BIS"*** means the Bureau of Indian Standard which is the national Standards Body of India working under the aegis of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India;

(ii) ***"CPCB"*** means the Central Pollution Control Board constituted under the provision of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(iii) ***"Discarded element"*** means element which is discarded or removed from the Domestic Water Purification System due to either manufacturing defects, wear, tear, loss of its utility attributes or achieved its end of life usability, or is replaced due to non-functioning at designed parameter;

(iv) "***Manufacturer***" means a person or an entity or a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a factory as defined in the Factories Act, 1948 (63 of 1948) or Small and Medium Enterprises as defined in Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), which has facilities for manufacturing or assembling of filters;

(v) ***"Point of use (PoU)"*** means location of water purification system close to the use point and deliver directly to a single tap or multiple tap such as a kitchen sink faucet or an auxiliary faucet;

(vi) ***"Reject water"*** means water coming out of WPS and not considered as treated by the system;

(vii) "***SPCB or PCC***" means State Pollution Control Board for State or Pollution Control Committee in case of Union territory, as the case may be, constituted under the provision of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(viii) ***"Type approval"*** means certificate of conformity to a product that meets a minimum set of regulatory, technical and safety requirements, and is required before the product is allowed to be sold;

(ix) ***"Domestic Water Purification System (DWPS)"*** means equipment or devices, which involves Reverse Osmosis based Point of Use (PoU) water treatment system with a capacity of up to 25 litres per hour that reduces Total Dissolved Solids (TDS) of water, reduces chemical contamination to safe level and removes physical particles including microbiological impurities at PoU;

(x) ***"Other than Domestic Water Purification System"(ODPWS)*** means equipment or devices, which involves Reverse Osmosis based water treatment system that reduces Total Dissolved Solids (TDS) water, reduces chemical contamination to safe level and removes physical particles including microbiological impurities at PoU;

(xi) "***Water Supply Agency***" means any entity, organisation, Department of State Government, local urban bodies, public or private sector entities engaged in treatment, distribution or supply or both of water in a given geographical area on commercial or obligatory responsibility basis arising due to statutory provision of applicable law.

2. **Regulation on use.**– (1) All users of DWPS and ODWPS shall comply with the guidelines issued by CPCB.

(2) A guideline shall be published by the Central Pollution Control Board for handling, storage, management and utilisation of reject generated from DWPS and ODWPS within a period of six months from the date of publication of the Environment (Protection) 115 Amendment Rules, 2021.

(A) DWPS. –

(i) All manufactured, imported, produced or assembled DWPS shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per the Indian Standard IS 16240, as amended from time to time, under Scheme –I , Schedule - II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

(ii) Discarded elements from DWPS shall be managed as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016; E-Waste (Management) Rules, 2016; Hazardous Waste Management Rules, 2016, as amended from time to time and plastic, electronic and electrical waste generated as discarded elements shall be brought under Extended Producer Responsibility (EPR).

(B) ODWPS. –

(i) Shall be regulated under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution), Act, 1974 (6 of 1974) and various rules under the Environment (Protection) Act, 1986.

(ii) The nodal agency for implementation shall be the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be.

3. **Responsibilities. –**

(A) DWPS

(a) Manufacturer

(i) The manufacturer shall obtain Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per the Indian Standard IS 16240 (as amended from time to time) under Scheme –I , Schedule- II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018 within period of eighteen months from the date of publication of the Environment (Protection) 115 Amendment Rules, 2021.

(ii) Discarded elements from DWPS shall be managed by the manufacturer as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016; E-Waste (Management) Rules, 2016; Hazardous Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time, and plastic, electronic and electrical waste generated as discarded elements shall be brought under Extended Producer Responsibility (EPR).

(iii) No DWPS shall be sold by the manufacturer without BIS certification as per sub-clause (i) of the clause (A) of paragraph 2.

(iv) The manufacturer shall submit compliance report to SPCB or PCC, as the case may be, for further submission to CPCB latest by the 30th November of following financial year.

(b) CPCB

(i) The CPCB shall be the nodal agency for implementation of the provisions of this paragraph.

(ii) The CPCB shall prepare and publish guidelines for management, storage, utilisation and disposal of reject water generated from DWPS within a period of six months from the date of publication of the Environment (Protection) 115 Amendment Rules, 2021.

(iii) The CPCB shall create public awareness through advertisement, publication, posters or by other means of communication.

(iv) The CPCB shall monitor the implementation these provisions.

(c) **User:** The user shall comply with the guidelines issued by CPCB for management, storage, utilisation and disposal of reject water generated from DWPS or ODWPS, as applicable .

(d) **BIS** : The BIS shall prepare or modify the applicable standard code (IS 16240) for DWPS having regard to the available technology, corresponding recovery efficiency and output water quality reliability.

4. ODWPS

(a) User :

(i) The user shall apply for authorisation within a period of six months from the date of publication of the Environment (Protection) 115 Amendment Rules, 2021 to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, for grant of registration as per the provisions of rules made under the Environment (Protection) Act, 1986 and shall comply with the conditions stipulated therein.

(ii) The user shall operate within the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made under the Environment (Protection) Act 1986: provided that the installations operating on or before the date of publication of the Environment (Protection) 115 Amendment, Rules, 2021 shall apply for Consent to Operate, wherever applicable, to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, within a period of six months from the date of publication of the said rules. .

(b) State Pollution Control Board or Pollution Control Committee

(i) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall ensure that all ODWPS are regulated within the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution), Act, 1974 (6 of 1974) and rules made under the Environment (Protection) Act 1986.

(ii) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall register manufacturers and importers of ODWPS, as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, E-Waste (Management) Rules, 2016.

(iii) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall create public awareness through advertisement, publication, posters or by other means of communication.

(iv) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall monitor the implementation of these provisions.

(v) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall submit compliance report to CPCB latest by the 15th December of following financial year.

(c) Central Pollution Control Board

i. The Central Pollution Control Board shall compile annual reports received from SPCBs or PCCs for submission to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change latest by the 30th December of following financial year.

4. **General conditions.** – (1) Water Supply Agency (WSA), concerned Local Bodies like Public Health Engineering Department (PHED), Jal Nigam, Municipal Corporation, Jal Board, Municipalities, Private and Public Sector Agencies engaged in potable water supply, shall inform the consumers about the water sources and quality including Total Dissolved Solids (TDS) concentration of water being supplied through billing instruments and also through public advertisement in newspaper and other mass media means on regular basis.

(2) Every DWPS product shall be affixed with a conformance label meeting the following requirements, namely:–

(a) The label shall be durable and legible.

(b) The label shall be affixed on a part necessary for normal operation of the product and not normally requiring replacement during the life of the product.

(3) The conformance label shall contain the following information, namely:–

(a) Name and address of the manufacturer or assembler of product, as the case may be.

(b) Statement that the product conforms to the Environment (Protection) Rules, 1986.

(c) Type Approval certificate number.

(d) Date of manufacture of product or in case of import, the date of import of the product ; and

(e) Rated recovery efficiency and corresponding water reject generation.

(4) In case of any dispute or difficulty in implementation of these provisions, the matter shall be referred to the nodal agency.

(5) The nodal agency shall constitute a Standing Committee for process integrity and recovery efficiency assessment related issues and to advise on all matters related to implementation of these provisions including disposal of disputes, if any".

[F. No. Q-17012/1/2019-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844 (E) dated the 19th November 1986 and last amended vide notification number G.S.R. 952 (E), dated the 26th December, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM